कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/715/नोडल/टीका.अभि./2021 रायपुर, दिनांक 23/06/2021

भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर अटल नगर से समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार कोविड–19 टीकाकरण अभियान रायपुर जिले में संचालित किया जा रहा है। टीकाकरण कार्य की समीक्षा में यह पाया गया है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है तथा टीकाकरण के विषय में संबंधित व्यक्तियों के भ्रम (यदि कोई हो) का निवारण करते हुये उन्हे टीकाकरण हेतु प्रेरित किया जाना बहुत आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 5–81/2021/17–1 दिनांक 18.06.2021 के द्वारा प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है :–1. हेल्थ केयर वर्कर, 2. फ्रंटलाईन वर्कर, 3. 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, 4. वे नागरिक जिनकी द्वितीय डोज लगाने का समय आ गया है, 5. 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक

दिनांक 21.06.2021 से सभी आयुवर्ग हेतु कोविन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने में कठिनाई हो, वे आधार कार्ड या कोई अन्य विधिमान्य पहचान–पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्र में उपस्थित होकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

अतः कॉलम नंबर (2) में दर्शित समूहों में टीकाकरण के विषय में वर्तमान एवं दिनांक 21.06.2021 से प्रभावी होने वाली व्यवस्था का प्रचार–प्रसार करने, संबंधित व्यक्तियों के भ्रम (यदि कोई हो) का निवारण करने तथा उन्हे टीकाकरण हेतु प्रेरित करने हेतु कॉलम नंबर (3) में दर्शित अधिकारियों को आदेशित किया जाता है :–

क्र.	समूह/संगठन का नाम	प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	वाहन चालक एवं अन्य स्टाफ, ट्रक संगठन, टैक्सी संगठन, बस ऑपरेंटर संगठन, आटो संगठन इत्यादि	श्री शैलाभ साहू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर 7771841777
2.	उद्योगों में कार्यरत व्यक्ति, औद्योगिक स्थापनाएँ, औद्योगिक संगठन इत्यादि	श्री पी. के. त्रिवेदी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रायपुर 9406201762
3.	आवासीय कॉलोनियॉ एवं संबंधित संगठन इत्यादि	श्री पुलक भट्टाचार्य, अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर 7772099888
4.	निर्माण एजेन्सियॉ, कार्यरत श्रमिक/ठेकेदार संगठन इत्यादि	समस्त कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए, सी.एस.पी.डी.सी.एल.,
5.	राशन दुकान संचालक, हितग्राही तथा होटल/रेस्टोरेन्ट/पेट्रोल पंप/एल.पी.जी. वितरक स्टाफ तथा संबंधित संगठन	श्री तरुण राठौर, खाद्य निरीक्षक, रायपुर 7999760516
6.	शासकीय/अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के स्टाफ, वयस्क छात्र/छात्राएँ तथा संबंधित संगठन इत्यादि	श्री ए. एन. बंजारा, जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर 9926177856
7.	बैंक एवं डाकघरों में पदस्थ स्टाफ, वहॉ आने वाले ग्राहक तथा बैंक/डाकघर संबंधी संगठन इत्यादि	श्री प्रशांत शर्मा, लीड बैंक मैनेजर 9425103039
8.	रेलवे स्टेशन में कार्यरत स्टाफ, आने/जाने वाले यात्री तथा संबंधित रेलवे संगठन इत्यादि	श्री देवकान्त साहू, प्राचार्य, महिला आई.टी.आई. सड्डू रायपुर, 9907327766
9.	सभी विभागों के जिला एवं अधीनस्थ कार्यालय तथा वहॉ पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी संगठन इत्यादि	संबंधित कार्यालय प्रमुख

क्र. (1)	समूह/संगठन का नाम (2)	प्रभारी अधिकारी का नाम व पदनाम (3)
10.	विभिन्न गैर सरकारी/सामाजिक संगठन इत्यादि	श्री आशीष मिश्रा, जन सम्पर्क अधिकारी, स्मार्ट सिटी प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर
11.	अनाथालय, वृद्धाश्रम एवं संबधित संगठन इत्यादि	श्री भूपेन्द्र पाण्डेय, संयुक्त संचालक, समाज कल्याण 9993211205
12.	जेल	जेल अधीक्षक, रायपुर
13.	प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा संबधित संगठन	श्री पंकज गुप्ता, संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर

कॉलम नंबर (3) में दर्शित प्रभारी अधिकारी, कॉलम नंबर (2) में दर्शित व्यक्तियों/समूहों से स्वयं संपर्क/समन्वय करते हुये उन्हें कोविड–19 टीकाकरण हेतु प्रेरित करेगें तथा निकटतम टीकाकरण केन्द्र के संबंध में प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित करगें। 100 से अधिक व्यक्तियों की उपलब्धता होने पर टीकाकरण कैम्प का आयोजन कराने हेतु श्री राजीव कुमार पाण्डेय, 9425649105 संयुक्त कलेक्टर, रायपुर एवं जिला नोडल अधिकारी, टीकाकरण से सम्पर्क किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ. क्रमांक/775/नोडल/टीका.अभि./2021 रायपुर, दिनांक 23/06/2021

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) रायपुर/आरंग/अभनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जोन आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, जिला रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. संबंधित कार्यालय प्रमुख .... रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व संबंधित कर्मचारी .... को पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर